

## कार्यालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी

प्रकीर्ण आदेश संख्या- 88/2023 दिनांक-सितम्बर 08, 2023

कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला न्यायालय अधिष्ठान उत्तरकाशी में कार्यरत महिला कार्मिकों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण हेतु पूर्व में गठित आन्तरिक शिकायत समिति को भंग करते हुए निम्नानुसार आन्तरिक शिकायत समिति का पुर्नगठन किया जाता है:-

क्रम सं०	समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व प्रस्थिति	मोबाइल नं०	ई-मेल आइ.डी.
1.	श्रीमती नेहा कुशवाहा, सीनियर सिविल जज उत्तरकाशी - पीठासीन अधिकारी	9412097740	neha.kush@aij.gov.in
2.	रश्मि रावत, प्रधान सहायक, जिला न्यायालय उत्तरकाशी - सदस्य	9634885107	rashmirawatuki2018@gmail.com
3.	श्रीमती दीपिका जगूड़ी, वैयक्तिक सहायक, जिला न्यायालय उत्तरकाशी - सदस्य	9458386443	deepikanautiyal1902@gmail.com
4.	श्री गजेन्द्र सिंह नेगी, प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय उत्तरकाशी - सदस्य	9997708337	raj180385@gmail.com
5.	श्रीमती पूनम सिंह, अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (पोक्सो) उत्तरकाशी - सदस्य	9411522257	educationalchannel21@gmail.com

तदनुसार सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(गुरुबख्श सिंह)

जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी

कार्यालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी।

पत्रांक \_\_\_\_\_/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी,
2. सीनियर सिविल जज, उत्तरकाशी,
3. सिविल जज पुरोला/बडकोट, जिला उत्तरकाशी,
4. सिविल जज उत्तरकाशी,
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी,
6. सदस्यगण, आन्तरिक शिकायत समिति,
7. समस्त कर्मचारीगण के सूचनार्थ,
8. नोटिस बोर्ड हेतु,
9. न्यायालय सिस्टम सहायक को वेबसाइट में अपलोड करने व ई-मेल द्वारा प्रेषणार्थ,

आदेशानुसार,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
जिला न्यायालय, उत्तरकाशी।